

भवन समन्वय समिति
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की

सं० सी०सी०बी० / ५९२/पी-11 (मुर्गी के अण्डे)

दिनांक: मार्च १०, 2025

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की सी.सी.बी. द्वारा संचालित सभी भवन मैसों (आजाद, सरोजिनी, एवं विज्ञान भवन) में दिनांक 01.04.2025 से 31.05.2025 तक के लिए मुर्गी के अण्डे (फॉर्म) की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र।

फर्म का नाम व पता	
फूड लाइसेंस न०	
पैन न०	
मो० न०	
ईमेल आईडी	
निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	दि० 20/03/2025 (गुरुवार) को सांय 03-00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि व समय	दि० 20/03/2025 (गुरुवार) को सांय 03-30 बजे
निविदा जमा करने का स्थान	सी०सी०बी० कार्यालय, मेन बिल्डिंग, आई०आई०टी० रुड़की
निविदा खुलने का स्थान	सरोजिनी भवन मैस

क्रम संख्या सामग्री का नाम

दर अंकों में

दर शब्दों में

1 - मुर्गी अण्डे (फार्म) रू० _____ प्रति 100 अण्डे रूपये _____
वजन - 600 से 700 ग्राम प्रति दर्जन ।

निविदादाता के हस्ताक्षर _____

D. Bharat

नियम व शर्तें :-

1. सभी निविदायें मुहरबन्द लिफाफे में अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के नाम होनी चाहिए। खुला निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. केन्द्रीय क्रय अधिकारी/अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति को यह अधिकार सुरक्षित है कि निविदा का कोई अंश अथवा समस्त भाग निरस्त कर सकते हैं। उसके लिये कोई कारण बताना अनिवार्य नहीं है।
3. उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. टेण्डर में कटिंग व ओवर राइटिंग न करें, कटिंग होने पर दोबारा साफ-साफ लिख कर अपने हस्ताक्षर करें अन्यथा टेण्डर निरस्त भी किया जा सकता है।
5. ठेका एक से अधिक ठेकेदारों को दिया जा सकता है।
6. दरें 01/04/2025 से 31/05/2025 के लिए मान्य होंगी।
7. ठेका बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
8. आपूर्ति न कर पाने या आपूर्ति स्वीकृत सैम्पल के अनुसार न कर पाने की दशा में ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त की जा सकती है तथा अन्य जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
9. मुर्गी के अण्डे (फॉर्म) की दरें मुर्गी के अण्डे (फॉर्म) को संस्थान की मैसों तक पहुंचाने व सभी करें सहित होनी चाहिए।
10. निविदा में दी गई मुर्गी के अण्डे (फॉर्म) की मात्रा अनुमानित है तथा यह मात्रा 25% तक घट या बढ़ सकती है।
11. मुर्गी के अण्डे (फॉर्म) का ठेका सी.सी.बी. द्वारा संचालित मैसों को मान्य होगा।
12. ठेकेदार को सामान की आपूर्ति सी.सी.बी. द्वारा संचालित मैसों में उनकी आवश्यकतानुसार समय पर करनी होगी।
13. बिल का भुगतान सम्बन्धित मैसों द्वारा किया जायेगा। भुगतान हेतु बिल सामान के साथ ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
14. अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति का निर्णय अन्तिम तथा सर्वमान्य होगा।
15. नये आपूर्तिकर्ताओं को खरीद आदेश (PO) प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर सी.सी.बी. कार्यालय में धरोहर राशि जमा कराना तथा पंजीकरण करवाना आवश्यक हैं।
16. सप्लायर द्वारा निविदा में दी गई दरों को स्वीकृत किए जाने पर 01/04/2025 से 31/05/2025 के मध्य दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा।
17. संस्थान की मैसों में आपूर्ति करने हेतु आने-जाने के लिए संस्थान के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा तथा प्रवेश हेतु पास बनवाने की प्रक्रिया सप्लायर द्वारा किया जाना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर_____

दिनांक:_____

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

D. Bharat
केन्द्रीय क्रय अधिकारी
भवन समन्वय समिति